# कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

## // संशोधित विज्ञापन //

क्रमांक ५ /दो–11–4/2016 दिनांक :– 15/11/2016

**आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 19/12/2016 संध्या 5:00 बजे तक**

कुटुम्ब न्यायालय स्थापना जांजगीर के अंतर्गत रिक्त सहायक ग्रेड –3 (सेल अमीन/आदेशिका लेखक) एवं आकस्मिक निधि मद अंतर्गत फर्रास/चौकीदार के निम्नांकित पदो पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

| क्र0. | पदनाम | आरक्षित/ अनारक्षित | पद संख्या | पद का प्रकार (स्थाई/अस्थाई) | वेतनमान एवं ग्रेड पे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आदेशिका लेखक (बैकलाक पद की पूर्ति हेतु) | आरक्षित अ.ज.जा. (मुक्त) | 01 | अस्थायी | 5200–20200 ग्रेड पे 1900/– |
| 2 | सेल अमीन | अनारक्षित (मुक्त) | 01 | अस्थायी | 5200–20200 ग्रेड पे 1900/– |

**आकस्मिक निधि मद अंतर्गत**

| क. | पदनाम | आरक्षित/ अनारक्षित | पद संख्या | पद का प्रकार (स्थाई/अस्थाई) | वेतन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फर्रास (बैकलाग पद की पूर्ति हेतु) | आरक्षित अ.ज.जा (मुक्त) | 01 | अस्थायी | कलेक्टर दर पर |
| 2 | चौकीदार | अनारक्षित (मुक्त) | 01 | अस्थायी | कलेक्टर दर पर |

**भर्ती की पात्रता एवं शर्ते :–**
**सहायक ग्रेड तीन (आदेशिका लेखक) 01 पद एवं**
**सहायक ग्रेड तीन (सेल अमीन ) 01 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता :–**

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
2. छ.ग. या म.प्र. शासन शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
3. डिप्लोमा इन कप्युटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इन्टरनेट का न्यूनतम कम्प्युटर ज्ञान ।

कम्प्यूटर विषय से संबंधित निम्नांकित परीक्षाओं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/उपाधि को मान्यता प्रदान की गई है :-

1. मान्यता प्राप्त आई0टी0आई0 से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट।
2. मान्यता बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजूकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/मार्डन आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
3. वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।
4. DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा।

**आकस्मिक निधि मद अंतर्गत (फर्रास एवं चौकीदार) 02 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता :-**

1. पॉचवी कक्षा उत्तीर्ण।

नोट (सभी पदों हेतु) – यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन प्रस्तुत करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अनर्ह मान लिया गया हैं। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मदवारी समाप्त कर दी जाएगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाये जाने की जानकारी प्रकट होने पर सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

**आयु सीमा एवं पात्रता संबंधी शर्तें :-**

(1) आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आवेदकों की आयु सीमा 35 वर्ष होगी ।

(2) छ.ग. राज्य स्थानीय निवासियों के लिए छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–2/2015/3/एक ,नया रायपुर, दिनांक 17.12.2015 के अनुसार निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2016 की समाप्ति तक प्रदान की जाएगी। अन्य विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में प्राप्त छूट यथावत लागू रहेंगी, किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) आरक्षित वर्ग/महिला/भू.पू.सै./विकलांग/शासकीय कर्मचारियों को अधिकतम आयुसीमा में छूट छ0ग0 शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी नियमानुसार होगी।

(4) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी एवं छ0ग0 शासन द्वारा घोषित/मान्य अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) के आवेदकों को उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष के छूट की पात्रता होगी परंतु किसी भी स्थिति में छूट की आयु को मिलाकर उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

(5) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिनजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 शासन के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा नियमानुसार होगी । यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(6) ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी/सेवक हो, अपनी आयु में से उनके द्वारा पूर्व में की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि 01 से अधिक बार की गयी सेवाओं के योग को कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण** – छंटनी किए गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य की, शासन की अथवा किसी संगठन ईकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 06 माह तक निरन्तर रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(7) भूतपूर्व सैनिक की अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा पहले दी गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जावेगी बशर्ते उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो ।

(8) महिलाओं के लिए आयु सीमा में छूट शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि, उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी । विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावेगी परंतु किसी भी स्थिति में छूट की सीमा को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

(09) अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष के छूट की पात्रता होगी ।

(10) विक्रम पुरस्कार, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीणचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष तक की छूट होगी ।

(11) विकलांग अभ्यर्थी को अधिकतम 10 वर्ष की छूट दी जावेगी जो कि छत्तीसगढ़ के जिला चिकित्सा मण्डल अथवा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित विकलांगों के उद्यमी पुर्नवास केन्द्र नेपियर टाउन जबलपुर म0प्र0 के अधीक्षक अथवा छ0ग0 शासन के अधीक्षक द्वारा प्रमाणित विकलांग प्रत्याशी को ही होगी।

(12) रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है (शासकीय सेवकों को नियमानुसार छूट होगी) ।

(13) कोई भी उम्मीदवार जिसने न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा ।

(14) ऐसा कोई पुरूष जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और ऐसी कोई स्त्री जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिसकी एक पत्नि पूर्व से जीवित हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे ।

(15) जिन आवेदकों की दो से अधिक संतान हो जिनमें से अंतिम बच्चे का जन्म 26/01/2001 के पश्चात् हुआ हो वे नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे।

**आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया –**

(1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में ए 4 साईज के पेपर में पूर्णतया कम्प्यूटर प्रिंट या टंकित किए हुए ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे । पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **19/12/2016 को शाम 5:00 बजे तक** बंद लिफाफा में जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से **आवेदित पद का नाम** लिखा हो, स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

(2) आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र(शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर), विकलांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई–स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा ।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) कार्यानुभव के संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न नही किए जाने की स्थिति में कार्यानुभव हेतु अंक प्रदान नही किए जायेंगे ।

(6) आवेदन पत्र में चस्पा फोटो स्वप्रमाणित होना चाहिए तथा साथ ही एक बिना प्रमाणित स्वयं का पासपोर्ट साइंज को फोटो संलग्न करना अनिवार्य हैं। फोटो के पीछे स्वयं का नाम पिता का नाम एवं जन्म तिथि का उल्लेख किया जाना अनिवार्य हैं।

(7) आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा एवं 5 रू0 का डाक टिकट चस्पा किया हुआ 03 नग **खुला लिफाफा** आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा। यदि आवेदक द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नही किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में आवेदक को सूचना नही प्राप्त होने पर जवाबदारी स्वयं आवेदक की होगी ।

(8) विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिला जांजगीर की वेबसाईट http://janjgir-champa.gov.in के तथा जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट http://ecourts.gov.in/janjgir लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है ।

(9) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पश्चात् आवेदक को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा परीक्षा के संबंध में जानकारी परीक्षा तिथि के पूर्व जिला जांजगीर की वेबसाईट http://janjgir-champa.gov.in में तथा जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट http://ecourts.gov.in/janjgir पर उपलब्ध कराई जावेगी।

(10) जिन आवेदकों को परीक्षा तिथि तक परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नही होती है, तो वे परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व या परीक्षा समय के दो घंटे पहले तक अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण/पावती सहित या आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित कार्यालय में उपस्थित होने पर परीक्षण उपरांत उनकी उम्मीदवारी सही पायी गयी तो डूप्लीकेट प्रवेश पत्र जारी कर परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी।

**चयन प्रक्रिया**

1. **सहायक ग्रेड तीन के पद हेतु**

| | | |
|---|---|---|
| 1– | लिखित परीक्षा | – 50 अंक |
| 2– | प्रायोगिक /कौशल परीक्षा (कम्प्युटर) | – 50 अंक |

**प्रथम चरण लिखित परीक्षा**

न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर द्वारा एक प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जावेगी जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा,जिसकी सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होगें,जिसके सभी प्रश्नों के चार विकल्प दिये गये होंगे,जिनमे से एक विकल्प सही होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान एवं सम–समायिक विषयों के अंतर्गत होंगें। उक्त परीक्षा की अवधि कुल एक घंटे की होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार किया जावेगा और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले रिक्त पदों के 15 गुना तक उम्मीदवारों को प्रायोगिक परीक्षा के लिये बुलाया जावेगा।

**द्वितीय चरण प्रायोगिक/कौशल परीक्षा**

यह स्पष्ट किया जाता है कि लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्राविण्य सूची तैयार किया जावेगा और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले रिक्त पदों के 15 गुना तक उम्मीदवारों को प्रायोगिक परीक्षा के लिये बुलाया जावेगा। इसमें समान अंक पाने वाले एक से अधिक उम्मीदवार होने की स्थिति में यह संख्या अधिक हो सकती है।

प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवारों को पद के संबध में कम्प्युटर की प्रायोगिक परीक्षा से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में कम्प्यूटर में शुद्धता से टाईप करना होगा। प्रारंभिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर चयन हेतु श्रेणी/वर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार किया जावेगा।

**स्पष्टीकरण**

यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रायोगिक /कौशल परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर आवेदक को चयन के लिये अनर्ह माना जावेगा, भले ही प्रारभिंक परीक्षा/ कौशल परीक्षा में उसके द्वारा चयनित उम्मीदवार जो दोनो (प्रांरभिक एवं प्रायोगिक परीक्षा) में बैठा हो से अधिक ही क्यो ना हो। दो उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होने की

स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। यदि आयु भी समान होती है तो उनके स्नातक के अंक सूची में अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को वरियता दिया जावेगा। अंक भी समान होने पर द्वितीय भाग,प्रायोगिक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। उपयुक्त दोनो (प्रारंभिक एवं प्रायोगिक परीक्षा) में प्राप्तांकों के आधार पर योग्य उम्मीदवारो की श्रेणी/ वर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार किया जावेगा तथा प्रतीक्षा सूची भी तैयार किया जावेगा, परंतु ऐसी उम्मीदवारों का नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक नही होगा जब तक नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सब प्रकार से योग्य है।

**आवश्यक सूचनाएँ:–**

(1) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेगा उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

(2)अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जांच उपरांत उपयुक्त पाये जायेंगे तथा जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे उन उम्मीदवारों की पृथक पृथक सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी तथा उन्हे प्रारंभिक परीक्षा तथा प्रायोगिक परीक्षा की सूचना डाक के माध्यम से जारी किये जावेंगे तथा जिला न्यायालय जांजगीर के वेब साईट पर भी उपलब्ध कराई जावेगी एवं निरस्त किये गये आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति 03 दिवस के भीतर चयन समिति के समक्ष कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक परीक्षा एवं द्वितीय प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा)के लिये अभ्यर्थियों का स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा। उन्हे किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नही होगा। कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर में उम्मीदवारों को रोल नम्बर एवं परीक्षा कक्ष की जानकारी दी जावेगी।

2. **आकस्मिक निधि के पद हेतु**

शारीरिक दक्षता परीक्षा – 10 अंक

**प्रथम चरण**

आकस्मिक निधि मद के पद हेतु पांचवी कक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के आधार पर 15 गुना उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता हेतु बुलाया जावेगा।

**अन्य शर्ते–**

1. लिखित परीक्षा तथा प्रायोगिक/ कौशल परीक्षा में प्राप्त प्राप्ताकों को जोड़कर प्राणीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के अनुसार न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय जांजगीर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जावेगा। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतिक्षा सूची भी जारी की जावेगी जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी।

2. प्रशासनिक एवं अन्य अपरिहार्य कारणों से यह विज्ञापन परीक्षा के किसी भी स्तर पर बिना पूर्व सूचना दिये कभी भी निरस्त/स्थगित की जा सकेगी।

3. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

4. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।

5. अनुशासन एवं नियत्रंण छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अध्यधीन होंगे तथा नियुक्त कर्मचारी नियोक्ता के नियत्रंण में कार्य करेंगे।

6. यहाँ नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई नियुक्ति हैं अत एव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती हैं।

7. चयनित उम्मीदवार का पुलिस सत्यापन कराये जाने पर चरित्र सही नही पाये जाने पर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

8. जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य (फिटनेस) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा।

9. चयनित कर्मचारी की सेवायें या तो कर्मचारी द्वारा नियुक्त अधिकारी को या नियुक्त अधिकारी द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

10. चयनित सहायक ग्रेड –तीन के पद के उम्मीवार की नियुक्ति दो वर्ष की परवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

11. चयन प्रक्रिया के संबंध में माननीय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर–चांपा का निष्कर्ष अंतिम होगा।

प्रत्येक आवेदक को चाहिये की वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एंव पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। त्रुटि एवं अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। आवेदक जांजगीर–चांपा जिले की की वेबसाइट लिंक http://janjgir-champa.gov.in के तथा जिला न्यायालय जांजगीर के वेबसाईट http://ecourts.gov.in/janjgir से विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं एवं आवेदन पत्रों तथा परीक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

15-11-16

न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय
जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

आवेदक स्वप्रमाणित फोटो चस्पा करें।

# आवेदन का प्रारूप

**( सहायक ग्रेड –तीन एवं आकस्मिक निधि मद के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र)**

प्रति,

न्यायधीश
कुटुम्ब न्यायालय
जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

1– आवेदित पद का नाम ....................................................

2– आवेदक का पूरा नाम ....................................................

3– आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपिटल लेटर में) ....................................................

4– आवेदक के पिता / पति का नाम ....................................................

5– वर्ग (अ0जा0 / अ0ज0जा0 / अ0पि0व0)....................................................

6– आवेदक का वर्तमान पत्र व्यवहार का पता ....................................................
....................................................
....................................................

7– आवेदक का स्थायी पता ....................................................
....................................................
....................................................

8– जन्मतिथि (अंकों में) ....................................................
(दिनांक 01–01–2016 को आयु) दिन................माह......................वर्ष......................

9– लिंग (पुरूष / महिला). ....................................................

10– राष्ट्रीयता ....................................................

11– क्या आवेदक छत्तीसढ़ का मूल निवासी है (हॉ / नही) ....................................................

12– रोजगार कार्यालय का नाम एवं पंजीयन क्रमांक व दिनांक ....................................................
....................................................

13– क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं (हॉ / नही)....................................................

14– क्या आप विकलांग हैं (हॉ / नही) ....................................................
विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत ....................................................

15– यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि ....................................................

16– जीवित संतानों की संख्या ....................................................

17— शैक्षणिक एवं तकनीकी आर्हता—

| क्र. | उत्तीर्ण परीक्षा का नाम | वर्ष | प्राप्तांक / कुल अंक | प्रतिशत | श्रेणी | बोर्ड / वि.वि. का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

18 कार्यानुभव का विवरण

| क्र. | पद का नाम | संस्था का नाम | प्रथम नियुक्ति दिनांक | कुल वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

19— क्या वर्तमान में किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है (हॉ / नही), (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें )

20— आवेदक का कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो या किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो तो उसका विवरण ..........................................................................................

21— आवेदन के साथ संलग्न सत्यापित दस्तावेज का विवरण —

1— 2—
3— 4—
5— 6—

आवेदक के हस्ताक्षर

**घोषणा पत्र**

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैने विज्ञापित पदों की पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ा है, इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दिए गये सभी विवरण एवं संलग्न सभी दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम विष्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है । मेरे द्वारा दी गयी जानकारी असत्य / अपूर्ण पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

स्थान— आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
दिनांक— (आवेदक का पूर्ण नाम)

# कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जांजगीर–चांपा (छ0ग0)

**–:लिखित परीक्षा /कौशल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र :–**
**(प्रवेश पत्र दो प्रतियों में संलग्न करें)**

| आवेदक का स्वप्रमाणित फोटो |
|---|

रोल नंबर :–

परीक्षा केन्द्र /स्थान :–

परीक्षा का दिनांक / / समय :–

**(कार्यालय द्वारा भरा जावेगा)**

आवेदक बाक्स मे हस्ताक्षर करे

**(आवेदक द्वारा भरे जाने वाली जानकारी)**

आवेदित पद का नाम :– ..........................................................................................

परीक्षार्थी का नाम :– ..........................................................................................

पिता का नाम :– ..........................................................................................

पता – :– ..........................................................................................

:– ..........................................................................................

प्रवेशपत्र जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

**परीक्षार्थी के लिए अनुदेश**

1– परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा आरंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।
2– परीक्षा के समय परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।
3– परीक्षा में केवल काले या नीले पेन का उपयोग करें।
4– परीक्षा के दौरान वीक्षक/चयन समिति के द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक/चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जावेगा।
5– परीक्षार्थी के द्वारा परीक्षा प्रपत्र पर किसी प्रकार का पहचान चिन्ह अंकित किए जाने पर परीक्षार्थी का उत्तर पुस्तिका की जॉच नही की जायेगी।
6– परीक्षा में किसी प्रकार का वर्जित कागजात, पुस्तक, पेजर, कैल्क्यूलेटर, मोबाईल इत्यादि रखना वर्जित है।